झारखण्ड विधान सभा

अल्प सूचित प्रश्नों की सूची

चतुर्थ झारखण्ड विधान–सभा

पंचम–सत्र

वर्ग–04

निम्नलिखित अल्प–सूचित प्रश्न, गुरुवार, दिनांक– 20 फाल्गुन, 1937 (श0) / 10 मार्च, 2016 (ई0) को झारखण्ड विधान–सभा के आदेश–पत्र पर अंकित रहेंगे :–

क्रमांक	विभागों को भेजी गई सां0सं0	सदस्यों का नाम	संक्षिप्त विषय	संबंधित विभाग	विभागों को भेजी गई तिथि
01	02	03	04	05	06
"क" 113.	अ0सू0–29	प्रो0 स्टीफन मराण्डी	त्वरित कार्रवाई कराना	जल संसाधन	17.02.16
150.	अ0सू0–40	श्री सत्येन्द्र नाथ तिवारी	सिंचाई क्षमता बढ़ाना	जल संसाधन	22.02.16
151.	अ0सू0–31	श्री योगेश्वर महतो	ओपन निविदा प्रणाली के द्वारा	ऊर्जा	17.02.16
152.	अ0सू0–20	श्री प्रदीप यादव	राशि की वापसी	खाद्य सार्व0वित0 एवं उप0 मामले	12.02.16
153.	अ0सू0–52	श्री बिरंची नारायण	मुआवजा देना	ऊर्जा	04.03.16
154.	अ0सू0–26	श्री राधाकृष्ण किशोर	पेंशन का भुगतान	महिला बाल वि0 एवं सा0 सुरक्षा	12.02.16
155.	अ0सू0–50	श्री दीपक बिरुवा	विशेषज्ञों की नियुक्ति	महिला बाल वि0 एवं सा0 सुरक्षा	02.03.16
156.	अ0सू0–34	श्रीमती गीता कोड़ा	पदाधिकारी पर कार्रवाई	खाद्य सार्व0वित0 एवं उप0 मामले	17.02.16
157.	अ0सू0–42	श्री सत्येन्द्र नाथ तिवारी	कानून बनाना	जल संसाधन	22.02.16
158.	अ0सू0–51	प्रो0 स्टीफन मराण्डी	आरोपियों के ऊपर कार्रवाई	कृषि,पशुपालन एवं सहकारिता	04.03.16

नोट :– "क"113 दिनांक–03.03.2016 से सदन द्वारा दिनांक–10.03.2016 के लिए स्थगित।

बिनय कुमार सिंह
प्रभारी सचिव,
झारखण्ड विधान–सभा, राँची।

राँची
दिनांक–10 मार्च, 2016 ई0।

कृ0पृ0उ0/–

ज्ञाप संख्या-प्रश्न-01/2016-......2086....../वि०स०, राँची, दिनांक- 08 मार्च, 2016 ई०।

प्रतिलिपिः- झारखण्ड विधान-सभा के माननीय सदस्यगण/ मुख्यमंत्री/ मंत्रिगण/ संसदीय कार्य मंत्री/ मुख्य सचिव तथा राज्यपाल के प्रधान सचिव/ लोकायुक्त के आप्त सचिव एवं झारखण्ड सरकार के सभी विभागों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

गुरुचरण सिंकु 8/3/16

(गुरुचरण सिंकु)
उप सचिव,
झारखण्ड विधान-सभा, राँची।

ज्ञाप संख्या-प्रश्न-01/2016-......2086....../वि०स०, राँची, दिनांक- 08 मार्च, 2016 ई०।

प्रतिलिपिः- अध्यक्ष महोदय के आप्त सचिव/ सचिवीय कार्यालय, झारखण्ड विधान-सभा, राँची को क्रमशः माननीय अध्यक्ष महोदय एवं प्रभारी सचिव महोदय एवं अपर सचिव (प्रश्न) के सूचनार्थ प्रेषित।

गुरुचरण सिंकु 8/3/16

उप सचिव,
झारखण्ड विधान-सभा, राँची।

06/03/16

एक्का/-

त्वरित कार्रवाई कराना ।

उत्तर मुद्रित

''क'' 113. श्री स्टीफन मराण्डी--क्या मंत्री, जल संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि राज्य में 12 सिंचाई योजनाएँ क्रमश: स्वर्णरिखा बहुद्देशीय परियोजना, अजय बराज, गुमानी, पुनासी, कोनार, अमानत, सोनुआ, अपरशंख, सुकरी, रैशा, सुरंगी एवं पंचखेरो जलाशय वर्षों पूर्व से अधूरे पड़े हैं;

(2) क्या यह बात सही है कि योजनाएं ससमय पूरा नहीं होने के कारण उनपर कुल 415.80 करोड़ की लागत राशि बढ़ाकर पुनरीक्षित 8414.59 करोड़ हो गयी है जिसके विरुद्ध 6302 करोड़ व्यय भी हो गया है;

(3) क्या यह बात सही है कि कृषि विभाग के अनुसार प्रदेश में सिर्फ 11 फीसदी ही सिंचाई सुविधा उपलब्ध है जबकि जल संसाधन विभाग के अनुसार कुल 35.62 फीसदी जमीन पर सिंचाई सुविधा उपलब्ध है;

(4) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार जनहित में उक्त बंद पड़ी योजनाओं को पूरा करवाने की दिशा में त्वरित कार्रवाई करने की इरादा रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?

<u>प्रभारी मंत्री</u>

(1) स्वीकारात्मक

(2) आंशिक स्वीकारात्मक ।

कुल 12 योजनाओं की प्रारंभिक प्रशासनिक स्वीकृति की राशि 412.32 करोड़ थी । आज की तिथि में पुनरीक्षित हो कर 8420.82 करोड़ हो गई है । इनपर अद्यतन व्यय 5857.25 करोड़ है ।

(3) जल संसाधन विभाग द्वारा कुल सृजित की जाने वाली सिंचाई क्षमता के विरुद्ध 37.41% सिंचाई क्षमता का सृजन किया गया है तथापि पूर्ण योजनाएँ काफी पुरानी होने के कारण कुल सिंचाई क्षमता का 50% सिंचाई सुविधा दी जा सकी है ।

(4) वन भूमि अपयोजन एवं भू-अर्जन के कारण योजनाएँ पूरी नहीं हुई है । विभाग द्वारा इन योजनाओं को पूरा करने हेतु त्वरित कार्रवाई की जा रही है ।

----

(150)

श्री सत्येन्द्र नाथ तिवारी, स०वि०स० द्वारा दिनांक 10.03.2016 को पूछा जाने वाला अल्प सूचित प्रश्न संख्या अ०सू०-40 का उत्तर प्रतिवेदन :-

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि प्रदेश में औसत वर्षा 1400 मिली मीटर होने के बावजूद जल संसाधन/सिंचाई योजना का ठीक प्रबंधन नहीं होने के वजह से राज्य के 38 लाख हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि में से सिर्फ 18 लाख हेक्टेयर भूमि पर कृषि कार्य हो रहा है ;	झारखण्ड राज्य में कृषि योग्य भूमि 29.70 लाख हे० है जिसके विरूद्ध दिनांक 31.03.2015 तक कुल 9.19 लाख हे० सिंचाई क्षमता सृजित है।
2.	क्या यह बात सही है कि राज्य गठन से अब तक सिंचाई क्षमता बढ़ाने के नाम पर जनता की कमाई का 32000 करोड़ खर्च होने के बावजूद 1 लाख हेक्टेयर अतिरिक्त कृषि योग्य भूमि पर भी सिंचाई क्षमता नहीं बढ़ पायी है ;	झारखण्ड राज्य गठन के उपरांत जल संसाधन विभाग अन्तर्गत वृहद्, मध्यम एवं लघु सिंचाई योजनाओं पर रू० 6028.63 करोड़ का व्यय मार्च 2015 तक किया गया है। राज्य गठन के उपरान्त सिंचाई क्षमता 6.27 लाख हेक्टेयर से बढ़कर 9.19 लाख हेक्टेयर हो गयी है।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार जलाशय योजना के नाम पर पैसे की हुई बर्बादी के जिम्मेदार व्यक्तियों पर कार्रवाई करने एवं ठोस योजना बना कर कृषि योग्य भूमि पर सिंचाई क्षमता बढ़ाने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	जल संसाधन विभाग द्वारा कराये गये कार्यों से सिंचाई क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। सम्प्रति विभाग द्वारा 21 वृहद् एवं मध्यम सिंचाई योजनाएँ निर्माणाधीन है। जिनकी कुल सिंचन क्षमता 4.74 लाख हेक्टेयर है।

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

ज्ञापांक संख्या- 6/ज०सं०वि०-10-अ०सू०-06/16 - 1563 **/राँची, दिनांक** 08.03.16

प्रतिलिपि :- अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञापांक- 1327 दिनांक 22.02.2016 के प्रंसग में अतिरिक्त 200 (दो सौ) प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. उप सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, काँके रोड, राँची/मुख्य अभियंता, योजना, मोनिटरिंग एवं आयोजन, जल संसाधन विभाग, राँची/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-6 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

8/3/16

सरकार के उप सचिव (अभियंत्रण)
जल संसाधन विभाग, राँची।

(151)

श्री योगेश्वर महतो, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक 10.03.2016 को पूछे जाने वाले अल्पसूचित प्रश्न संख्या अ०सू०-31 की उत्तर प्रतिवेदन

प्रश्नकर्त्ता श्री योगेश्वर महतो, मा०स०वि०स०	उत्तरदाता विभागीय मंत्री
1. क्या यह बात सही है कि पावर ट्रांसफार्मर खरीदगी निविदा जीएसएस परियोजना की कुल लागत का 40% होता है;	अस्वीकारात्मक। पावर ट्रांसफार्मर खरीदगी निविदा जीएसएस परियोजना की कुल लागत का केवल 17–20% होता है।
2. क्या यह बात सही है कि झारखण्ड ऊर्जा संचरण निगम लिमिटेड को आर्थिक बचत करने, उक्त परियोजना को गति देने, पावर ट्रांसफार्मर की गुणवत्ता को सुनिश्चित कर उचित मूल्यांकन कर पावर ट्रांसफार्मर कार्य पर सीधे नियंत्रण रखने हेतु ओपन निविदा प्रणाली द्वारा ट्रांसफार्मरों की सीधी खरीदगी कर उक्त योजना को समय पर पूरा कर समय की बचत की जा सकती है;	झारखण्ड ऊर्जा संचरण निगम लिमिटेड द्वारा पावर ट्रांसफार्मर की खरीद दो तरह से होती है:– 1. Augmentation head –इसके अंतर्गत कार्यरत ग्रिड का ट्रांसफार्मर क्षमता बढ़ाने हेतु खुली निविदा द्वारा ट्रांसफार्मर की खरीद की जाती है। 2. Turnkey head –नई ग्रिड बनवाने हेतु खुली निविदा के आधार पर एजेन्सी का चयन किया जाता है। इसके अंतर्गत एजेन्सी ही JUSNL के approved manufacturer से ट्रांसफार्मर की खरीद JUSNL के निर्धारित कार्य–योजना के अंतर्गत करती है। इसके अंतर्गत खरीदी गई ट्रासंफार्मर को ज्यादा दिन तक बिना उपयोग के पड़े रहने की सम्भावना कम रहती है तथा ट्रांसफार्मर के चार्ज करने तक जिम्मेवारी एजेन्सी पर रहती है। चूँकि पावर ट्रांसफार्मर, पावर सप्लाई हेतु सबसं महत्वपूर्ण equipment है, इसलिए दोनों परिस्थितियों में इसकी गुणवता का बराबर ख्याल रखा जाता है तथा JUSNL के अधिकारियों द्वारा गुणवत्ता के जाँच के बाद ही इसे कोई भी एजेन्सी सप्लाई करती है। JUSNL द्वारा direct transformer खरीद कर कार्यरत् एजेन्सी को देने के बावजूद भी, ग्रिड के निर्माण में समय की बचत नहीं की जा सकती है, क्योंकि Turnkey योजना के तहत ग्रिड निर्माण का समय पहले से ही तय रहता है।
3. क्या यह बात सही है कि उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, उड़िसा आदि राज्यों में विद्युत सुविधा आसानी से उपलब्ध कराने हेतु ओपन निविदा प्रणाली द्वारा पावर ट्रांसफार्मरों की खरीद की जाती है;	इसकी जानकारी प्राप्त की जा रही है, जिसमें लगभग दो महीनों का वक्त लगेगा।
4. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उपर्युक्त वर्णित राज्यों की तरह राज्य में संचालित नए जीएसएस परियोजना की सफलता एवं राज्य में वर्ष 2019 तक 24 घंटे बिजली उपलब्ध कराने के लक्ष्य को समय पर पूरा करने हेतु उक्त खरीदगी ओपन निविदा प्रणाली के द्वारा कराने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?	उपरोक्त कडिका दो में उल्लेखित अन्य राज्यों से संबंधित जानकारी की आवश्यक परीक्षण एवं सम्यक विचारोपरांत उचित निर्णय शीध्र लिया जाएगा

झारखण्ड सरकार,
ऊर्जा विभाग

ज्ञापांक 697 / दिनांक 09-03-16

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को इसकी अतिरिक्त 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(हस्ताक्षर)
सरकार के अवर सचिव

152

झारखण्ड सरकार

खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग

दिनांक 10.03.2016 को पूछा जाने वाला अल्प सूचित प्रश्न संख्या अ०स०–20 का उत्तर।

प्रश्नकर्त्ता
श्री प्रदीप यादव,
स०वि०स०

उत्तरदाता
श्री सरयू राय
मंत्री,
खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं
उपभोक्ता मामले विभाग, झारखण्ड।

प्रश्न	उत्तर
(1) क्या यह बात सही है कि जिला उपभोक्ता फोरम पलामू में श्री पवन कुमार सिन्हा (आदेशपाल) तथा श्री शिवराज नंदन (आदेशपाल) की नियुक्ति संविदा के आधार पर बिना आरक्षण रोस्टर का पालन किये हीं हुआ है;	अस्वीकारात्मक।
(2) क्या यह बात सही है कि आशुलिपिक पद हेतु शैक्षणिक योग्यता स्नातक पास होना अनिवार्य है, परन्तु मात्र मैट्रीक पास श्री बीरेन्द्र कुमार मिश्र की नियुक्ति आशुलिपिक पद पर जिला उपभोक्ता फोरम, पलामू में कर दी गई है;	अस्वीकारात्मक।
(3) क्या यह बात सही है कि बिना रोस्टर क्लीयर किए एवं कम शैक्षणिक योग्यता वाले युवकों को नियुक्त कर सरकारी राशि का दुरूपयोग एवं आरक्षण पालन की धज्जियाँ उड़ाई गई है;	अस्वीकारात्मक।
(3) यदि उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार अविलम्ब संविदा पर कार्यरत कर्मियों को हटाते हुए वेतन मद में दी राशि की वापसी का विचार रखती है, हाँ तो, कब तक, नहीं तो क्यों ?	लागू नहीं है।

ह0/–
(बसंत कुमार दास),
सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक :– खा०प्र० 6–8 (वि०स०) 25/2016 774 /राँची, दिनांक 02.03.16

प्रतिलिपि – अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञाप संख्या 532, वि0स0, दिनांक 12.02.2016 के क्रम में 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के उप सचिव।

(153)

श्री बिरंची नारायण, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक 10.03.2016 को पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्न संख्या अ०सू०-52 का उत्तर प्रतिवेदन

प्रश्नकर्त्ता श्री बिरंची नारायण, मा०स०वि०स०	उत्तरदाता विभागीय मंत्री
1. क्या यह बात सही है कि राज्यभर के अधिकतर जिलों में 11000 वोल्ट एवं 220 वोल्ट के घरेलु सप्लाई तारों के मध्य अथवा इनके नीचे कोई भी सुरक्षा जाली नहीं लगायी गई है, जिससे इन हाई वोल्टेज तारों के टूट कर नीचे गिरने से बराबर कई व्यक्ति हताहत होतें है, मवेशी मरते है, वाहन जलते है, घरों में आगलगी जैसी अनेकों छिटपुट घटनाएँ राज्यभर में घटित होती रहती है एवं उक्त संबंध में कई मुकदमें सिमडेगा, राँची, दुमका इत्यादि जिलों में विभिन्न अदालतों में दर्ज भी किये गए है;	आंशिक स्वीकारात्मक है।
2. यदि उपर्युक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार अविलंब राज्यभर के उक्त हाई वोल्टेज जर्जर तारों के नीचे सुरक्षा जाली लगवाने एवं हताहत परिवार को दुर्घटना में हुए नुकसान की भरपाई हेतु मुआवजा देने का प्रावधान करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?	राज्य भर में सुरक्षा की दृष्टिकोण से आवश्यकतानुसार एच0टी0/ एल0टी0 लाईन में गार्ड – वायर का प्रावधान किया गया है। कहीं–कहीं गार्ड–वायर अत्याधिक पुराना होने के कारण क्षतिग्रस्त हो गए है। विभाग द्वारा सर्वेक्षण कराते हुए सभी आवश्यक जगहों पर गार्ड–वायर लगाने की प्रक्रिया जारी है एवं माह जुलाई 2016 तक पूर्ण कराने का लक्ष्य है। दुर्घटना होने की स्थिति में वांछित कागजात उपलब्ध होने के उपरांत विभागीय नियमानुसार मुआवजा का भुगतान किया जाता है।

झारखण्ड सरकार,
ऊर्जा विभाग

ज्ञापांक 693 / दिनांक 09-03-16

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को इसकी अतिरिक्त 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

9/3/16

सरकार के अवर सचिव

154

दिनांक–10.03.2016 को श्री राधा कृष्ण किशोर, मा0स0वि0स0 द्वारा पूछा जाने वाला
अल्पसूचित प्रश्न संख्या– अ0सू0–26 का उत्तर

क्रम	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि झारखण्ड प्रदेश में इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय पेंशन योजना अन्तर्गत वृद्धावस्था पेंशन की लाभान्वितों की संख्या– 16,84,000 है।	अस्वीकारात्मक। झारखण्ड राज्य में इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय वृद्धा पेंशन योजनान्तर्गत लाभान्वितों की संख्या– 8,02,112 है।
2.	क्या यह बात सही है कि प्रत्येक लाभान्वितों को 600 रुपये प्रति माह की दर से आवश्यकता के 101 करोड़ 04 लाख रुपये आवंटन के आभाव में सभी लाभान्वितों को नियमित रुप ये वृद्धावस्था पेंशन का भुगतान नहीं हो रहा है।	अस्वीकारात्मक । प्रत्येक लाभान्वितों को 600/– रुपये एवं 80 वर्ष से उपर लाभुकों को 700/– रुपये की दर से कुल 49343.88 लाख रुपये नियमित भुगतान हेतु जिलों को आवंटित किया गया है।
3.	यदि उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार बताएगी कि इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय पेंशन योजना के लाभान्वितों को नियमित रुप से भुगतान हेतु कौन सी कार्रवाई करना चाहती है ?	आवश्यकता नहीं है।

झारखण्ड सरकार
महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग

ज्ञापांक – 03/म0स0 /वि0स0–74/2016 – 642 रॉंची, दिनांक 03/03/ 2016

प्रतिलिपि :– अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा, राँची को उनके ज्ञाप सं0–1029/वि0स0 दिनांक–17.02.2016 के आलोक में 200 प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

03/03/2016
(सुधीर कुमार बाड़ा)
सरकार के उप सचिव।

155

दिनांक 10–3–2016 को श्री दीपक बिरूवा, मा0स0वि0स0 द्वारा पूछा जाने वाला अल्पसूचित प्रश्न सं0 50 का उत्तर

प्रश्न	उत्तर
1– क्या यह बात सही है कि भारतीय पुनर्वास परिषद, नई दिल्ली से पंजीकृत समावेशी शिक्षा/विशेष शिक्षा विशेषज्ञों को PWD Act एवं RCI Act के तहत् राज्य स्तर एवं प्रत्येक जिला स्तर में संबंधित नीति योजना एवं कार्यक्रम का संचालन/कियान्वयन करने हेतु नियुक्ति करने का प्रावधान है ;	अस्वीकारात्मक
2– क्या यह बात सही है कि, राज्य में उक्त Act के तहत विगत 10 वर्षों से जिला एवं राज्य स्तर पर नियुक्ति नहीं की गयी है, जिससे खण्ड (1) में उल्लिखित Act का उल्लंघन हो रहा है ;	अस्वीकारात्मक
3– यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार समावेशी शिक्षा/विशेष शिक्षा के विशेषज्ञों की नियुक्ति राज्य एवं प्रत्येक जिला स्तर में वित्तीय वर्ष 2016–17 में करने का विचार रखती है, हॉ तो कब तक नही तो क्यों ?	आवश्यकता नहीं है।

झारखण्ड सरकार

महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग

ज्ञापांक – 03/म0स0वि0स0/अ0सू0 – 104/2016 ....687.... रॉची, दिनांक 09/03/16

प्रतिलिपि – अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, रॉची को उनके पत्रांक 1947 दिनांक 02–03–2016 के आलोक में 200 प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

9/3

(राजेश ई0 पात्रो)
सरकार के उप सचिव

(157)

श्री सत्येन्द्र नाथ तिवारी, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक-10.03.16 को पूछा जाने वाला अल्पसूचित प्रश्न सं०-42 का उत्तर प्रतिवेदन:-

क्र०	प्रश्न	उत्तर प्रतिवेदन
1	क्या यह बात सही है कि झारखंड प्रदेश के कई जिलों में विगत 15 वर्षो में 2 से 4 मिटर तक की भूगर्भीय जल स्तर में गिरावट आयी है ;	स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि भारत सरकार ने भू-गर्भ जल रिचार्ज / संरक्षण के लिये 2003 में झारखंड प्रदेश को अन्य राज्यों की तरह निर्देश दिये जाने के बावजूद, भू-गर्भ जल संरक्षण कानून पिछले 12 वर्षो में नहीं बन पाने से जल स्तर में लगातार गिरावट हो रहा है ;	आंशिक स्वीकारात्मक। औसत से कम वर्षापात, राज्य के जिलों में शहरी आबादी की वृद्धि जो पेयजल हेतु मुख्य रूप से भू-गर्भ जल पर ही निर्भर है के कारण जल स्तर में गिरावट हुआ है।
3	यदि उपर्युक्त खंडो के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार जल स्तर में लगातार हो रहे गिरावट को रोकने के लिये अन्य राज्यों के तरह भू-गर्भ जल रिचार्ज / संरक्षण के लिये कानून बनाने का विचार रखती है, हॉ तो कबतक नही तो क्यों ?	भू-गर्भ जल अधिनियम का प्रारूप तैयार किया जा रहा है। शीघ्र ही इसे अंतिम रूप दिया जाएगा।

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग, राँची

ज्ञापांक-6/ज०सं०वि०-10 अ०सू०-07/2016 1610 / **राँची, दिनांक-** 09.03.2016

प्रतिलिपि :-(1) अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञापांक-1326, दिनांक-22.02.16 के क्रम में 20 (बीस) अतिरिक्त प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(2) उप सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय काँके, रोड/उप सचिव, मंत्रीमंडल, सचिवालय एवं समन्वय विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(3) अभियंता प्रमुख-II, जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता, योजना मोनिटरिंग एवं आयोजन, जल संसाधन विभाग, राँची/मुख्य अभियंता, लघु सिचांई, राँची/दुमका एवं प्रशाखा पदाधिकारी-6 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

[signature] 9/3/16
उप सचिव (अभि०)
जल संसाधन विभाग, राँची।

प्रो0 स्टीफन मराण्डी, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक–10.03.2016 को पूछा जानेवाला अल्पसूचित प्रश्न संख्या–51 का प्रश्नोत्तर।

प्रश्नकर्ता–प्रो0 स्टीफन मराण्डी, माननीय स0वि0स0		उत्तरदाता–माननीय मंत्री कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग
क्र0	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के पदाधिकारियों/कर्मचारियों पर वित्तीय अनियमितता एवं अन्य आरोपों की जाँच प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का कार्य विक्रमादित्य प्रसाद, सेवानिवृत्त न्यायाधीश को सरकार द्वारा दिनांक–24.03.2015 को सौंपा गया है;	स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि राजभवन के पत्रांक–BAU-05/2015/GS/1011 दिनांक–24.04.2015 द्वारा कुलपति, बिरसा कृषि विश्वविद्यालय को एक महीने के अन्दर आरोपियों के उपर कार्रवाई हेतु निर्देशित किया गया है, किन्तु अभी तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गयी है;	आंशिक स्वीकारात्मक। राजभवन द्वारा प्रेषित निदेश के आलोक में सभी चिन्हित कर्मियों/पदाधिकारियों को कारण पृच्छा की गयी है।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उपर्युक्त पत्रों पर शीघ्र कार्रवाई करना चाहती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?	कुलपति, बिरसा कृषि विश्वविद्यालय, कांके, राँची के स्तर से कार्रवाई की प्रक्रिया जारी है। प्रक्रिया पूर्ण होते ही शीघ्र नियमानुकूल कार्रवाई की जायेगी।

झारखण्ड सरकार

<u>कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग</u>

(कृषि प्रभाग)

ज्ञापांक–06/बि0ए0यू0(विधान सभा)–09/2016 907 कृ0,राँची,दिनांक– 09/3/2016

प्रतिलिपिः–अवर सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञाप सं0–2024 दिनांक–04.03.2016 के प्रसंग में प्रश्नोत्तर की 200 प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

9-3-16

(राम प्रसाद साय)

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक–06/बि0ए0यू0(विधान सभा)–09/2016 907 कृ0,राँची,दिनांक– 09/3/2016

प्रतिलिपिः–प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग, झारखण्ड, राँची/मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड, राँची/मुख्य सचिव कोषांग, झारखण्ड, राँची/विभागीय माननीय मंत्री के आप्त सचिव/सचिव के प्रधान आप्त सचिव, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

9-3-16

सरकार के संयुक्त सचिव